न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/18/2021 दायर दिनांक 01.09.2021

उनवान

1. गोवर्धन लाल पिता हीरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी।

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 23.11.2021

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 केम्प ग्राम पंचायत भट्टों का बामनिया में पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा चतरभुजपुरा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के आराजी संख्या 389, 393, 262, 266, 268, 306, 371, 372, 182, 201, 202, 280, 329, 337, 339, 340, 387, 398, 421, 476/20 स्थित है। उक्त आराजीयात का विरासत से इन्तकाल खुलते समय लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में गोवर्धन लाल पिता हिरा लाल जाट के बजाय गोटू लाल पिता हिरा लाल दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम गोवर्धन लाल है।

यह कि ग्राम चतरभुजपुरा में गोटू लाल पिता हिरा लाल जाट का अन्य कोई व्यक्ति नही है प्रार्थी का मतदाता परिचय पत्र आधार कार्ड भामाशाह कार्ड आदि जो भी परिचय पत्र बने हुए है वो गोवर्धन लाल पिता हिरा लाल जाट के नाम से बने हुए है तथा प्रार्थी के हिस्सा की खातेदारी में भी गोटू लाल पिता हिरा लाल के बजाय गोवर्धन लाल पिता हिरा लाल जाट दर्ज होना चाहिये था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested

यह कि रेवेन्यु रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटि के कारण खातेदारी में नाम गोटू नाम लगा हुआ है तथा अन्य दस्तावेज गोवर्धन लाल के नाम के बने हुए है जिससे आये

दिन प्रार्थी को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पडता है तथा किसी भी बैंक, सहकारी संस्था आदि से भी ऋण नहीं ले पाता है जिससे दस्तावेज के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम गोटू लाल के बजाय गोवर्धन लाल पिता हीरा लाल जाट दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम गोटू पिता हिरा लाल के बजाय गोवर्धन लाल पिता हीरा लाल जाट दर्ज किया जाना के आदेश फरमाया जावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया। जवाब अनुसार तहसीलदार कपासन पेरोकार सरकार ने आदेशिका पर नाम परिवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, अंकन कर हस्ताक्षर किये।

प्रार्थी ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम चतरभुजपुरा की खाता संख्या 14, 15, 76, 78 जिनमे नाम अशुद्ध है, खाता संख्या 33, 97 जिनमें नाम शुद्ध है, व आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। सहखातेदार जगदीश पिता हीरालाल व शंकरलाल पिता हीरालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का खाता संख्या 14, 15, 76, 78 में गोटू पुत्र हीरा जाति जाट दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम गोवर्धन लाल प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदार के शपथ पत्र व खाता संख्या 33 व 97 से स्पष्ट होता है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा चतरभुजपुरा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 14, 15, 76, 78 में दर्ज गोटू पुत्र हीरा जाति जाट के बजाय गोवर्धन लाल पुत्र हीरा जाति जाट दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official